UPAG010061812026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आगरा

पीठासीन अधिकारी– (SHRI SANJAY KUMAR MALIK), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP01906**

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2634/2025

1. मुन्ना पुत्र स्व0 श्री बटुआ उम्र करीब 56 वर्ष
2. श्रीमती भगवती पत्नी मुन्ना उम्र करीब 52 वर्ष
3. गिर्राज किशोर पुत्र मुन्ना उम्र करीब 34 वर्ष
निवासीगण– मकान नं0–68, वैध गली रोशन खेरागढ़,आगरा

..... अभियुक्तगण

बनाम

उ0प्र0 राज्य

.....अभियोजन पक्ष

मु0अ0सं0: 238/2026
धाराः 498ए,323,504,308 भा0दं0सं0 एवं
3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना–मलपुरा, आगरा

दिनांकः 19.06.2026

पुलिस थाना मलपुरा, जिला आगरा पर पंजीकृत मुकदमा अपराध सं0 238/2026 अन्तर्गत धारा– 498ए,323,504,308 भा0दं0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित अभियुक्तगण मुन्ना, श्रीमती भगवती तथा गिर्राज किशोर की ओर से धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

अभियुक्तगण द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि अभियुक्तगण पीड़िता के ससुर, सास एवं जेठ हैं। वादिनी द्वारा कोई भी चिकित्सीय परीक्षण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादिनी सह अभियुक्त सोनू के साथ वर्ष 2025 तक साथ रही है, किन्तु वह सोनू को घर जमाई बनाने की जिद के कारण उसे झूठा फंसाने की धमकी देती थी। वादिनी द्वक्षरा आई0जी0आर0एस0 पर की गयी शिकायत पर पुलिस द्वारा जांच की गयी, जिसमें

आरोप असत्य पाये गये। अभियुक्तगण को पुलिस से गिरफ्तारी की आशंका है। अतएव अग्रिम जमानत प्रदान करने की प्रार्थना की गयी है।

अभियोजन के अनुसार वादिनी श्रीमती ज्योति द्वारा धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया कि उसका विवाह मोनू के साथ दिनांक 25.02.2020 को हुआ था। शादी के उपरान्त उसके ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज में एक लाख रूपयों की मांग को लेकर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। उसका पति मोनू अपने माता पिता के कहने पर अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट करता था, इसी क्रम में दिनांक 09.12.2020 को मोनू ने अपनी मां भगवती देवी के साथ मिलकर उसे जान से मारने की नीयत से उसका सिर दीवाल में मार दिया, जिससे वह बेहोश हो गयी। उसने अपने माता पिता को सूचना दी, जिस पर उसके पिता ने थाना खेरागढ़ पुलिस को सूचित किया। पुलिस द्वारा उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। उसके बाद उसके माता पिता उसे अपने साथ मायके लिवा लाये तथा पंचायत भी की, परन्तु उसके ससुरालीजन ने उसे रखने से मना कर दिया है। वह अपने माता पिता के साथ मायके में रह रही है। उसने एक पुत्री को जन्म दिया, जिसका समस्त खर्च उसके माता पिता द्वारा वहन किया गया।

वादिनी के प्रार्थनापत्र पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में थाना थाना मलपुरा आगरा पर मु0अ0सं0 288/2026 धारा 498ए,323,308,504 भा0दं0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में प्राथमिकी अंकित की गई।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, आगरा द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

मैंने आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, आगरा के तर्क सुने एवं केस डायरी का परिशीलन किया।

वादिनी द्वारा प्राथमिकी में वर्णित तथ्यों के अनुसार दिनांक 09.12.2020 को उसके पति द्वारा उसे जान से मारने की नीयत से उसका सिर दीवाल में मार दिया, जिससे वह घायल हो गयी तथा वह दिनांक 09.12.2020 से अपने मायके में रह रही है। परन्तु वादिनी द्वारा प्रकरण की प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दिनांक 20.04.2026 को, लगभग पांच वर्ष से भी अधिक समय के उपरान्त प्रस्तुत किया

गया है। इस स्तर तक उपलब्ध प्रपत्रों में वादिनी एवं उसके पिता के बयान ही विवेचक द्वारा अंकित किये गये हैं। कथित मारपीट में आई चोटों के संबंध में कोई भी चिकित्सीय परीक्षण आख्या केस डायरी में विद्यमान नहीं है, न ही कोई पूरक चिकित्सीय परीक्षण आख्या ही उपलब्ध है, जिसके आधार पर पीड़िता को आई चोटों के गंभीर प्रकृति की होने का समाधान किया जा सके। इसके सापेक्ष अभियुक्तगण की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न वादिनी के शिकायती प्रार्थनापत्र पर उप निरीक्षक दीपक कुंमार, थाना मलपुरा द्वारा प्रेषित जांच आख्या की प्रति के अनुसार वादिनी एवं उसके पति के मध्य आपसी घरेलू अनबन है एवं प्रार्थनापत्र में लगाये गये आरोप असत्य व निराधार पाये गये हैं। उपलब्ध प्रपत्रों से यह निर्विवादित है कि पीड़िता का अपने ससुरालीजन से वैवाहिक/पारिवारिक मतभेद है। पीड़िता एवं गवाहों के बयानों में अभियुक्तगण की कोई विनिर्दिष्ट भूमिका दर्शित नहीं की गयी है। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है।

तदैव मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों के दृष्टिगत आवेदकगण/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण **मुन्ना, श्रीमती भगवती तथा गिर्राज किशोर** का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है तथा उनको विवेचक द्वारा मामले में की जा रही विवेचना की समाप्ति तक अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है।

आवेदकगण/अभियुक्तगण **मुन्ना, श्रीमती भगवती तथा गिर्राज किशोर** को निर्देशित किया जाता है कि, वे विवेचना में सहयोग करेंगे और उनकी गिरफ्तारी की अवस्था में अरैस्टिंग आफीसर की संतुष्टि में प्रत्येक अभियुक्त द्वारा मुवलिग **20,000 रूपये** का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर रिहा किये जायें।

आवेदकगण/अभियुक्तगण निम्न शर्तों का अनुपालन करेंगे :–

1. यह कि, आवेदकगण/अभियुक्तगण किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जैसा और जब अपेक्षा की जायेगी, पूछताछ किये जाने हेतु स्वंय उपलब्ध होगे एवं

विवेचना में सहयोग करेंगे।

2. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगे जिससे कि उन्हे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या पुलिस को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।

3. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

(संजय कुमार मलिक)
सत्र न्यायाधीश,
आगरा।
19.06.2026

Digitally signed by SANJAY KUMAR MALIK
Date: 2026.06.20 06:58:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court